पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा के समक्ष कट्स इंटरनेशनल का प्रतिनिधित्व

कार्यक्रम का उद्देश्य - राजस्थान में विकास एवं ऊर्जा के सम्बन्ध पर चर्चा तथा पर्यावरण समिति को कट्स इंटरनेशनल के मौजूदा मंच 'विधायक संवाद' की जानकारी देना|

स्थान - कमरा नंबर ३५०, राजस्थान विधान सभा

तारीख और समय - बुधवार, जून ८, २०१६, १२ बजे सांय

प्रतिभागियों

१. श्री राव राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा
२. श्री भागीरथ चौधरी, अध्यक्ष, पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा
३. श्री छोटू सिंह, सदस्य, पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा
४. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा
५. श्री नविन पिलानिया, सदस्य, पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा
६. श्री रामचन्द्र, सदस्य, पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा
७. श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य, पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा
८. श्री उदय मेहता, निदेशक, कट्स इंटरनेशनल
९. श्री अभिषेक कुमार, एसोसिएट निदेशक, कट्स इंटरनेशनल
१०. श्री दीपक सक्सेना, वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक, कट्स इंटरनेशनल
११. श्री मधु सुदन शर्मा, वरिष्ठ परियोजना समन्वयक, कट्स इंटरनेशनल
१२. श्रीमती सुरभि सिंघवी, सहायक नीति विश्लेषक, कट्स इंटरनेशनल
१३. श्री गौरव झा, शोध सहयोगी, कट्स इंटरनेशनल

प्रयावरण समिति और विधायक संवाद के औपचारिक परिचय के बाद, राजस्थान के विकास और ऊर्जा रूपांतरण पर चर्चा हुई| पर्यावरण समिति ने निम्नलिखित विषयों पे अपने विचार प्रस्तुत किये:

१. **केंद्रीय वित्त व्यवस्था**: दूसरे राज्यों की तुलना में, राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने की क्षमता अधिक है| इस कारणवश राजस्थान, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में बड़ा योगदान देने में सक्षम है| इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक केंद्रीय पूँजी/सब्सिडी उपलब्ध कराने पर सोचा जाए|

२. **ऊर्जा - जल सहलग्नता**: यह आवश्यक है की राजस्थान की ऊर्जा-जल सहलग्नता का विश्लेषण किया जाए| एक तरफ राजस्थान के पास नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने के लिए काफी साधन हैं, लेकिन दूसरी ओर यहां पीने के लिए साफ पानी की उपलब्धता कम है|

३. **सौर सींचाई पम्प**:
   - 5 हॉर्स पावर वाले सौर सींचाई पम्प व्यावसायिक रूप से संगत पाये गए हैं. अब ज़रुरत है कि किसानों और सौर पम्प उत्पादकों के लिए भी १५-२० हॉर्स पावर वाले सींचाई पम्प के व्यावसायिक व्यवहार्यता की जांच की जाए| ये इसलिए क्यूंकि राजस्थान में कम भूजल स्तर के कारणवश, १५-२० हॉर्स पावर वाले पम्प का अधिक उपयोग किया जा रहा है|

- केंद्रीय सरकार द्वारा किसान को पूंजी/सब्सिडी देने के बावजूद, एक ५ हॉर्स पावर का पम्प खरीदने के लिए, किसान को ऊपर से ₹ २ लाख अधिक लगाने पड़ते हैं| ये रकम किसान के लिए बहुत ज़्यादा होती है| इसलिए, केंद्रीय सहायता के अलावा, कुछ और वित्तीय तंत्र के बारे में सोचने की ज़रुरत है जैसे की कम ब्याज पर श्रेय देना, निश्चित अवधी तक ब्याज के भुगतान पर रोक लगाना, इत्यादि, जिससे की किसान सौर सींचाई पम्प खरीद सके|

४. **आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल**:

- वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पे प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी कम मांग एक बाधा बन कर उभर रही है| जहाँ एक तरफ नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित शमता में बढ़ोतरी हो रही है, वहीँ इसके मांग में बढ़ोतरी कि कमी पाई गयी है| इस वजह से अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा का निकास, एक मुद्दा बन चुका है और इससे अब हल करना आवश्यक है|

- आज की तारीख में एक मौजूदा बिजली उपभोक्ता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली ग्रहण करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है क्यूंकि एक तो परम्परागत स्रोतों से उत्पादित की गयी बिजली की लागत नवीकरणीय ऊर्जा से कम है और दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित बिजली की निश्चितता कम है| इसकी एक वजह यह है की सौर ऊर्जा सिर्फ दिन के वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है| इसके लिए ज़रूरी है की एक अभिनव और सस्ते भण्डारण का विकल्प उपलब्ध करवाया जाए, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग घरेलू स्तर पर हो सके|

५. **ग्रामीण विद्युतीकरण:**

- ग्रामीण विद्युतीकरण: ग्रामीण राज्यों की अधिकतर आबादी अब बस्तियों में रहती है और कुछ बस्तियों को तो गांव का दर्जा भी दिया जा सकता है| इसलिए यह ज़रूरी है कि नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा की गई बिजली को इन समुदायों तक पहुँचाने के नए तरीकों को अपनाया जाए जो की आसानी से उपयोग में लायें जा सकें|

- इनको ध्यान में रखते हुए, यह आवशयक है कि गांवों में ग्राम पंचायत के साथ मिलकर काम किया जाए| उदाहरण के लिए, अगर एक गांव के किसी समुदाय में ग्रिड की स्थापना की जानी हो, तो उस ग्रिड का उत्तरदायित्व उस गांव की ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए| तात्पर्य यह है कि अगर ग्रिड से मिली आय को ग्राम पंचायत को दे दिया जाए तो उस ग्रिड के सञ्चालन को लम्बे अंतराल के लिए सतत किया जा सकता है| इसकी सफलता के लिए यह ज़रूरी है की ग्राम पंचायत का प्रोत्साहन बढ़ाया जाए| एक तरीका यह है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत को प्रारंभिक पूँजी प्रदान करे और कुछ सालों की वसूली छूट दे ताकि बिजली उत्पादन से मिली गयी रकम से ग्रामपंचायत राज्य सरकार को रकम वापस करने में सक्षम हो सके|

६. **अन्य विषय:**

- आज की तारिख में भारत सौर उपकरण के लिए दुसरे देशों जैसे चीन और मलेशिया पर निर्भर है. इसे बदलने के लिए ज़रूरी है की भारत में घरेलु सौर उपकरण उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाए. इससे भारत में रोज़गार की भी बढ़ोतरी होने की सम्भावना है.

- सौर छत (रूफटॉप) के लिए जिस नेट मीटरिंग नीति का निर्माण किया गया है, उसे प्रभावशाली तरीके से अमल में लाना आवश्यक है| यह नीति औद्योगिक उत्पाद में तो लागू है ही परन्तु इसको घरेलू प्रयोग में भी लागू किया जाना चाहिए|

- इससे पहले की बायोमास एक विकल्प बन कर उभरे, यह ज़रूरी होगा की राजस्थान में जट्रोफा का प्रति हेक्टेयर टन भार बढ़ाया जाए|

- दूसरे राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाएं सीखी जाएँ और उन्हें अपने राज्यों में दोहराने की रणनीति बनाई जाए|

- सौर और दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से गांवों में खाना बनाया जा सके, इस पर भी कट्स को गौर करना होगा|

- राजस्थान के पास अधिकतम ज़मीन होने का अतिरिक्त लाभ है, जिससे की वह नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन सरलता से कर सकता है| इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी होगा की हस्तांतरण और वितरण नेटवर्क को और मज़बूत बनाया जाए ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पे उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सके|

७. **कार्य बिंदु:**

- नवीकरणीय ऊर्जा के कारखानों के स्थापना की औद्योगिक एवं तकनीकी क्षमता को आसान और सस्ता बनाने का अनुसंधान करना|

- सब्सिडी पैटर्न अथवा दूसरे वित्त संरचना का अध्ययन करना, जिससे की नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण सस्ते दामों में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये जा सके और राज्य सरकार का बोझ भी कम किया जा सके|

- समुदाय आधारित मॉडल का अध्ययन करना, जिससे की नवीकरणीय ऊर्जा से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जा सके|

- पर्यावरण समिति, राजस्थान विधान सभा से परामर्श कर, एक वर्किंग पेपर तैयार करना, जिसमे ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, जैसे की सौर सींचाई पम्प, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ ईंधन, इत्यादि पर चर्चा की जा सके|

- राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में पहल के लिए नीति/प्रथा सुझाना, जो की कट्स और पर्यावरण समिति मिलकर ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके|